

क्रमांक 1431

पारि 3/2/2016

प्रश्न सं. [क. 1431]

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार (म०प्र०)

क्रमांक/13957/राज.अभि./2016

धार दिनांक 05/12/16

प्रति,

तहसीलदार,
बदनावर, सरदारपुर, डही,
मनावर, गंधवाणी, धरमपुरी,
जिला-धार।



21/12/16

विषय:- मिसल बंदोबस्त के रिकार्ड में अंकित शासकीय भूमि का वर्तमान रिकार्ड के 12 नंबर कॉलम में प्रविष्टि के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 160/4/राज./2016 इन्दौर, दिनांक 03.03.2016.
 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4679-80/रे.रे./2016 धार दिनांक 06.04.2016 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4825-26/रे.रे./2016 धार दिनांक 11.04.2016, स्मरण पत्र क्रमांक 5155-56 /रे.रे./2016 धार, दिनांक 23.04.2016.
 3. कलेक्टर, जिला धार के पत्र 7712/रे.रे शाखा/2016/ धार, दिनांक 29.06.2016.

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र एवं स्मरण पत्रों का अवलोकन करें।

2. आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के निर्देशानुसार मिसल बंदोबस्त के रिकार्ड में अंकित शासकीय भूमि जो शासकीय मद में अंकित है, उनका परीक्षण कर लिया जाये की शासकीय भूमि निजी या किसी अन्य मद में दर्ज तो नहीं हो गई है। परीक्षणोपरांत चालू खसरे के कालम न. 12 (कैफियत) में "अहस्तांतरणीय" शब्द किया जाकर वस्तु त्विति का प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु लगभग आठ माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत आपकी ओर से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना अत्यंत खेद का विषय है।

3. चूंकि आयुक्त महोदय का संदर्भित पत्र समयावधी सूची में पंजीबंध होकर कलेक्टर महोदय द्वारा उसकी समीक्षा प्रति सप्ताह की जाती है, अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वांछित प्रतिवेदन 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

डिप्टी कलेक्टर

9/12

धारते कलेक्टर, जिला-धार
धार, दिनांक 05/12/16

पृ.क्रमांक/13957/राज.अभि./2016

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, बदनावर, कुशी एवं मनावर की ओर लेख है, कि आयुक्त महोदय व संदर्भित पत्र समयावधी समीक्षा सूची में अंकित होकर, लगभग आठ माह का समय व्यतीत हो चुका है। अतः कृपः वांछित प्रतिवेदन तहसीलदारों को निर्देशित कर आगामी समयावधी धैर्य के पूर्व भिजवाने का कष्ट करें।

3. श्री.....
कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4825-26/रे.रे./2016 धार, दिनांक 11.04.2016. के परिपेक्ष में सूचनार्थ एवं पालनाय (अनु.क्र. 3 हेतु आदेश दिनांक 11.04.2016 की प्रति सलग है।)

9/12

डिप्टी कलेक्टर
धारते कलेक्टर, जिला-धार